पंचायत निगरानी संख्या 213/2024

उनवान कमलादेवी बनाम अर्जुनसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम 1994

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुयें
18.03.2026	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यह प्रकरण न्यायालय जिला कलेक्टर पाली से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में दाखिल हुआ था। इस न्यायालय द्वारा दोनों पक्षकारों को विधिवत नोटिस जारी किए गए। दिनांक 04.06.2025 को अधिवक्ता श्री गणपतसिंह राजपुरोहित द्वारा प्रार्थी की ओर से वकालतनामा पेश करने हेतु अंडरटेकिग (तहम्मुल) दी गई थी। तथापि, आज दिनांक तक न तो वकालतनामा पेश किया है और न ही प्रार्थी स्वयं न्यायालय के समक्ष हाज़िर हुए हैं। बार–बार अवसर दिए जाने के बावजुद प्रार्थी की ओर से कोई कार्यवाही न किया जाना तथा अनुपस्थिति से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी को अपने प्रकरण में कोई रुचि नहीं है। अतः प्रार्थी की मुसलसल ग़ैर–हाज़िरी और वकालतनामा दाखिल न करने के सबब, यह प्रकरण अदम हाजिरी अदम पैरवी में ख़ारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली	